अनुदान संख्या 51 – गृह मंत्रालय
GRANT No. 51–MINISTRY OF HOME AFFAIRS

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*					
मूल	*Original*	*20,00*		*59,00*	*55,36*	*–3,64*
पूरक	*Supplementary*	*39,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	1488,34,00		1684,19,00	1596,59,63	–87,59,37
पूरक	Supplementary	195,85,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	125,86,00		125,88,00	102,25,42	–23,62,58
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (8759.37 लाख रु.) दिसंबर, 2009 और मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 19585.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 45 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.8759.37 lakhs) constituted 45 percent of the supplementary grants of Rs.19585.00 lakhs obtained in December, 2009 and March, 2010 and 5 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat - General Services					
मू.	O.	17092.00				
पू.	S.	2.00		18059.60	16905.13	–1154.47
पु.	R.	965.60				
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services					
मू.	O.	82362.00				
पू.	S.	12083.00		95875.10	90822.60	–5052.50
पु.	R.	1430.10				
मुख्य शीर्ष "2250" अन्य सामाजिक सेवाएं	Major Head "2250" Other Social Services					
मू.	O.	230.00				
				119.00	64.52	–54.48
पु.	R.	–111.00				
मुख्य शीर्ष "3454" जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	Major Head "3454" Census, Surveys and Statistics					
मू.	O.	36877.00				
पू.	S.	7500.00		44252.00	42310.62	–1941.38
पु.	R.	–125.00				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	12173.00				
				10063.30	9556.76	–506.54
पु.	R.	–2109.70				

(I) 102.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2070" -

(क) "क्षेत्रीय परिषदें" -

(i) "अन्य क्षेत्रीय परिषदें" - 66.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 7.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 73.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 10.88 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(ii) "अंतर्राज्यीय परिषदें" - 403.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 12.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 415.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि 100.17 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे कम प्राप्त होने और कम विदेश दौरे किए जाने के कारण हुई।

(ख) "नागरिक सुरक्षा - नागरिक सुरक्षा महानिदेशक" - 409.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 43.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 452.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 102.37 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) प्रचार बोध के प्रस्ताव को अनुमोदन न दिए जाने और परामर्शदाताओं से विधि सेवा बिल प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ग) "राजभाषा - अन्य स्कीमें" - 1885.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 132.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2017.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 722.21 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने, चिकित्सा

(I) Provision of Rs.102.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads.

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilized as shown against each:-

(A) Major Head "2070" –

(a) "Zonal Councils" –

(i) "Other Zonal Councils" – the original provision of Rs.66.00 lakhs was augmented to Rs.73.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.7.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.10.88 lakhs (including supplementary grant) – due to non-filling up of vacant posts.

(ii) "Inter State Council" – the original provision of Rs.403.00 lakhs was augmented to Rs.415.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.12.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.100.17 lakhs (including supplementary grant) - due to receipt of less medical reimbursement claims and less foreign tours undertaken.

(b) "Civil Defence – Director General of Civil Defence" – the original provision of Rs.409.00 lakhs was augmented to Rs.452.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.43.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.102.37 lakhs (including supplementary grant) – due to non-approval of proposal for publicity awareness and non-receipt of legal service bills from counsels.

(c) "Official Language - Other Schemes" – the original provision of Rs.1885.00 lakhs was augmented to Rs.2017.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.132.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.722.21 lakhs (including

प्रतिपूर्ति दावे कम प्राप्त होने, विदेश दौरे कम किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

supplementary grant) – due to non-filling up of vacant posts, receipt of less medical reimbursement claims, less foreign tours undertaken and economy measures.

(खा) मुख्य शीर्ष ''3454'' - ''जनगणना - अन्य व्यय - जनगणना आंकड़ों, मानचित्रकारी विश्लेषण का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए भारतीय क्षेत्रीय प्रभाग'' - 312.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 56.32 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 368.32 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 57.58 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) निधियों का अंतरण विभागीय लेखाकरण संगठन को किए जाने के कारण हुई।

(B) Major Head "3454" – "Census – Other Expenditure - Regional Division of India to Study and Evaluate Census Data, Cartographic Analysis" – the original provision of Rs.312.00 lakhs was augmented to Rs.368.32 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.56.32 lakhs. However, there was a saving of Rs.57.58 lakhs (including supplementary grant) – due to transfer of funds to Departmental Accounting Organisation.

(III) मुख्य शीर्ष ''2070'' के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार अप्रयुक्त रहा:-

(III) Supplementary grant obtained under Major Head "2070" – remained unutilized under the following heads to the extent as shown against each:-

(का) ''नागरिक सुरक्षा - राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कालेज'' - 180.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 34.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 214.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निष्पादित किए जाने वाले लघु निर्माण कार्यों के लिए अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण 16.50 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) "Civil Defence - National Civil Defence College" – the original provision of Rs.180.00 lakhs was augmented to Rs.214.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.34.00 lakhs which, however, remained untilised to the extent of Rs.16.50 lakhs – due to non-filling up of vacant posts and non-receipt of authorization for minor works to be carried out by Central Public Works Department.

(खा) ''आप्रवास ब्यूरो - प्रवासियों को सेवाएं'' - 6288.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1449.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 7737.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने और कोडीय औपचारिकताएं पूरी न किए जाने के कारण 1161.77 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) "Bureau of Immigration – Services to Migrants" – the original provision of Rs.6288.00 lakhs was augmented to Rs.7737.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1449.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of Rs.1161.77 lakhs – due to non-filling up of vacant posts and non-completion of codal formalities.

(गा) ''राजभाषा - केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो'' - 596.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 73.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 669.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण 51.10 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(C) "Official Language – Central Translation Bureau" – the original provision of Rs.596.00 lakhs was augmented to Rs.669.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.73.00 lakhs which, however, remained untilised to the extent of Rs.51.10 lakhs – due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(IV) मुख्य शीर्ष ''2052'' - ''सचिवालय - गृह मंत्रालय'' के अंतर्गत 1993.64 लाख रु. की बचत (15258.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए सृजित विभागीय लेखा संगठन को निधियों का अंतरण किए जाने, चिकित्सा और बकायों के दावे कम प्राप्त होने, कम विदेश दौरे किए और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''2070'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''विशेष जांच आयोग - अन्य आयोग'' - 646.62 लाख रु. की बचत (2952.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, कम दौरे किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण - अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवाओं का सुदृढ़ीकरण'' - 448.24 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एकीकृत वित्त प्रभाग से सलाहकारों को नियुक्त करने के लिए अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(गा) ''अन्य व्यय - राष्ट्रीय जांच अभिकरण'' - 295.18 लाख रु. की बचत (1459.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष ''2250'' - ''पवित्र स्थानों, मंदिरों आदि का रख-रखाव - अयोध्या में अधिगृहीत संपत्ति की रक्षा और रख-रखाव'' के अंतर्गत 162.27 लाख रु. की बचत (217.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किए जाने और क्षेत्र के बचाव के लिए जलसह टेंट किराए पर लिए जाने संबंधी कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष ''3454'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''जनगणना - जनगणना आंकड़ों का कम्प्यूटरीकरण - डाटा केंद्रों का उन्नयन'' - 254.14 लाख रु. की बचत (784.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय

(IV) Under Major Head "2052" – "Secretariat – Ministry of Home Affairs" – saving of Rs.1993.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.15258.00 lakhs) was due to transfer of funds to newly created Departmental Accounting Organisation, receipt of less claims for medical and arrears, less foreign tours and economy measures.

(V) Under Major Head "2070" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Special Commissions of Inquiry – Other Commissions" – saving of Rs.646.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2952.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken and economy measures.

(B) "Fire Protection and Control – Strengthening of Fire and Emergency Services" – saving of Rs.448.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to non-receipt of approval of Integrated Finance Division for appointment of consultants.

(C) "Other Expenditure – National Investigation Agency" – saving of Rs.295.18 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1459.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(VI) Under Major Head "2250" – "Upkeep of Shrines, Temples etc. –Protection and Upkeep of acquired properties at Ayodhya" – saving of Rs.162.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.217.00 lakhs) was due to receipt of less claims for beautification of the area and water proof tentage hired to protect the area.

(VII) Under Major Head "3454" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Census – Computerisation of Census Data - Up-gradation of Data Centre" – saving of Rs.254.14 lakhs (against the sanctioned provision

लोक निर्माण विभाग द्वारा 2011 की जनगणना के लिए डाटा केंद्रों के नवीकरण किए जाने संबंधी कार्य पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी - अन्य व्यय - राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर'' - 4645.30 लाख रु. की बचत (16270.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंत्रिमंडल से पूरी स्कीम को कार्यान्वित किए जाने के लिए अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VIII) मुख्य शीर्ष ''3601'' - के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''योजनेतर अनुदान'' -

(क) ''निर्वाचन - अन्य अनुदान - लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के चुनावों के दौरान होमगार्डों की तैनाती'' - 127.55 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) ''अन्य प्रशासनिक सेवाएं - होम गार्ड - राज्यों को होमगार्डों के लिए प्रतिपूर्ति'' - 385.86 लाख रु. की बचत (4800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रतिपूर्ति संबंधी दावे कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) ''राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान - राज्यों में अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण'' - 1960.46 लाख रु. की बचत (3300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एकीकृत वित्त प्रभाग से सलाहकार नियुक्त करने के लिए अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IX) दो शीर्षों के अंतर्गत 134.31 लाख रु. की बचत हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक तथा स्वीकृत प्रावधान का 61 प्रतिशत और 67 प्रतिशत थीं।

of Rs.784.00 lakhs) was due to non-completion of renovation work of Data Centres for Census 2011 by Central Public Works Department.

(B) "Surveys and Statistics – Other Expenditure – National Population Register" – saving of Rs.4645.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.16270.00 lakhs) was due to non-receipt of approval for implementation of full scheme from Cabinet.

(VIII) Under Major Head "3601" –– savings occurred under the following heads:-

(A) "Non-Plan Grants" –

(a) "Elections - Other Grants – Deployment of Home Guards during the Parliament and State Assembly Elections"– saving of Rs.127.55 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to non-receipt of claims from the State Governments.

(b) "Other Administrative Services – Home Guards – Reimbursement to States for Home Guards" – saving of Rs.385.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4800.00 lakhs) was due to receipt of less reimbursement claims.

(B) "Grants for State Plan Schemes – Block Grants – Modernisation of Fire Services in States" – saving of Rs.1960.46 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3300.00 lakhs) was due to non-receipt of approval from Integrated Finance Division for the appointment of consultants.

(IX) Under two heads savings of Rs.134.31 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 61 percent and 67 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (5743.21 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 7502.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(I) मुख्य शीर्ष ''2052'' - ''सचिवालय'' -

(का) ''स्वापक नियंत्रण ब्यूरो'' - 356.60 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 264.03 लाख रु. था।

(खा) ''गृह मंत्रालय का विभागीय लेखा संगठन'' - 1618.95 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1545.22 लाख रु. था।

(II) मुख्य शीर्ष ''3454'' - ''जनगणना'' -

(का) ''निदेशन और प्रशासन - अधीक्षण'' - 346.23 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 156.55 लाख रु. था।

(खा) ''जनगणना आकड़ों का कंप्यूटरीकरण - जनगणना आंकड़ों को संसाधित करने के लिए कंप्यूटर प्रणाली'' - 201.17 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 143.26 लाख रु. था।

(गा) ''अन्य व्यय'' -

(क) ''परिगणन'' - 2421.11 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2012.69 लाख रु. था।

(ख) ''पृथक्करण और संकलन'' - 199.15 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 127.19 लाख रु. था।

(ग) ''प्रकाशन'' - 600.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 557.63 लाख रु. था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

2. The above savings were partly (Rs.5743.21 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.7502.00 lakhs under the following major heads:-

(I) Major Head "2052" – "Secretariat" –

(A) "Narcotics Control Bureau" – Rs.356.60 lakhs. Actual excess, however, was Rs.264.03 lakhs.

(B) "Departmental Accounting Organisation of MHA" – Rs.1618.95 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1545.22 lakhs.

(II) Major Head "3454" – "Census" –

(A) "Direction and Administration – Superintendence" – Rs.346.23 lakhs. Actual excess, however, was Rs.156.55 lakhs.

(B) "Computerisation of Census Data – Computer System for Processing Census Data" – Rs.201.17 lakhs. Actual excess, however, was Rs.143.26 lakhs.

(C) "Other Expenditure" –

(a) "Enumeration" – Rs.2421.11 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2012.69 lakhs.

(b) "Abstraction and Compilation" – Rs.199.15 lakhs. Actual excess, however, was Rs.127.19 lakhs.

(c) "Publications" – Rs.600.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.557.63 lakhs.

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''4059'' लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	5665.00	5666.00	4558.01	–1107.99
पू.	S.	1.00			
मुख्य शीर्ष ''4070'' अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4070" Capital Outlay on Other Administrative Services				
मू.	O.	6460.00	6461.00	5408.99	–1052.01
पू.	S.	1.00			
मुख्य शीर्ष ''4216'' आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing		461.00	258.42	–202.58

(I) 6.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.6.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) मुख्य शीर्ष ''4059'' - ''सामान्य'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "4059" – "General" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''निर्माण - आसूचना ब्यूरो'' - 529.90 लाख रु. की बचत (मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 2397.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य कम किए जाने के कारण हुई।

(A) "Construction - Intelligence Bureau" – saving of Rs.529.90 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.2397.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in March, 2010) was due to less construction work by Central Public Works Department.

(खा) ''भूमि का अधिग्रहण - मानव अधिकार आयोग'' - 573.00 लाख रु. की बचत (2868.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा मानव अधिकार भवन के निर्माण के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(B) "Acquisition of Land - Human Rights Commission" – saving of Rs.573.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2868.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards construction of Manav Adhikar Bhawan by Central Public Works Department.

(III) मुख्य शीर्ष ''4070'' - ''अन्य व्यय'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''गृह मंत्रालय'' - 200.40 लाख रु. की बचत (208.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी और उपस्कर की खरीद संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) ''राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कालेज'' - 109.77 लाख रु. की बचत (154.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इंटरएक्टिव सिमुलेशन प्रशिक्षण प्रणाली की खरीद के लिए कम निविदाएं प्राप्त होने के कारण हुई।

(गा) ''राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालेज'' - 218.78 लाख रु. की बचत (230.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(घा) ''आप्रवास ब्यूरो'' - 487.52 लाख रु. की बचत (560.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अटारी, मुनाबाओ और गिडे रेल जांच चौकियों पर क्लोज सर्किट टेलीविजन प्रणाली लगाए जाने के लिए अधिप्राप्ति प्रक्रिया का पूरा न होने के कारण हुई।

(ङ) ''आसूचना ब्यूरो'' - 221.45 लाख रु. की बचत मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 3701.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ति एवं निपटान महानिदेशक से दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''4216'' - ''सरकारी रिहायशी भवन - अन्य आवास - संरक्षितों के आवासों पर सुरक्षा से संबंधित निर्माण कार्य'' के अंतर्गत 202.58 लाख रु. की बचत (461.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा संरक्षितों के आवासों पर कम निर्माण कार्य किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "4070" – "Other Expenditure"– savings occurred under the following heads:-

(A) "Ministry of Home Affairs" – saving of Rs.200.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.208.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposal for purchase of machinery and equipment.

(B) "National Civil Defence College" – saving of Rs.109.77 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.154.00 lakhs) was due to receipt of less quotations for purchase of Interactive Simulation Training System.

(C) "National Fire Service College" – saving of Rs.218.78 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.230.00 lakhs) was due to economy measures.

(D) "Bureau of Immigration" – saving of Rs.487.52 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.560.00 lakhs) was due to non-completion of procurement process for installation of Closed-Circuit Television System at Attari, Munabao and Gede Rail Checkposts.

(E) "Intelligence Bureau" – saving of Rs.221.45 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.3701.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in March, 2010) was due to non-receipt of claims from Director General of Supplies and Disposals.

(IV) Under Major Head "4216" – "Government Residential Buildings - Other Housing – Security related works at the residences of protectees"– saving of Rs.202.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.461.00 lakhs) was due to less construction work at the residence of the protectees by the Central Public Works Department.

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''4070'' - ''अन्य व्यय - स्वापक नियंत्रण ब्यूरो'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 219.64 लाख रु. का अधिक व्यय (60.45 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्तमान अंचलों तथा आसूचना प्रकोष्ठों के लिए निगरानी और निषेध उपस्करों और नए वाहनों की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4070" – "Other Expenditure – Narcotics Control Bureau" – excess of Rs.219.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.60.45 lakhs) was due to requirement of additional funds for purchase of surveillance and interdiction equipments and new vehicles for existing Zones and Intelligence cells.